

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 है ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 2009 का 23 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(त) “प्रायोजक निकाय” से भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत के0डी0 शैक्षिक न्यास, नई दिल्ली , अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2010 के प्रारम्भ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली इसकी समनुषंगी शाखा है ; ” ।

धारा 5 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) खण्ड (vii) का लोप किया जाएगा । ;

(ख) खण्ड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(xi-क) प्रायोजक निकाय/विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा

तथा कर्मचारियों का वेतन, प्रत्येक माह कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा किया जाएगा ;”;

(ग) खण्ड (xviii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(xviii) केन्द्रीय सरकार के विनियामक निकायों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मानकों और विनियमों को पूर्ण करने के पश्चात् तथा राज्य सरकार का विशेष अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय, संस्थाएं, ऑफ कैम्पस केन्द्र, ऑफ शोर केन्द्र और अध्ययन केन्द्र स्थापित करना या दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करना;” और

(घ) खण्ड (xix) में, “विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “माता-पिता और छात्रों के सिवाय दान, उपहार और अनुदान प्राप्त करना तथा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों और उद्देश्यों के लिए” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 के खण्ड (घ) में “वसीयतें,” शब्द और चिन्ह के पश्चात् और “दान” शब्द से पूर्व “माता-पिता और छात्रों के सिवाय” शब्द और चिन्ह अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) का लोप किया जाएगा।

धारा 26 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 31 का संशोधन।

“(5) विश्वविद्यालय, पश्चात्वर्ती वर्षों में विद्यमान पाठ्यक्रमों में, नए छात्रों को प्रवेश देने के लिए या नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए, जो प्रयोजन के लिए गठित निरीक्षण समिति की सिफारिश के

अध्यधीन होंगे, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा । यह अन्तिम वर्ष के छात्रों के बैच को प्रवेश दिए जाने तक लागू रहेगा। ” ।

धारा 32 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 32 में शब्द “एक मास” जहां—जहां ये आते हों, के स्थान पर “तीन मास” शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 40 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (1) में “कुलपति से परामर्श के पश्चात्” शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 41 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में “पन्द्रह वर्ष” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस वर्ष” शब्द रखे जाएंगे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) विश्वविद्यालय को मानद् उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने और दूरवर्ती शिक्षा प्रारम्भ करने के लिए सशक्त करता है, किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा और ऑफ कैम्पस अध्ययन केन्द्रों को अपवर्जित किया जाना है । इसके अतिरिक्त यह भी समुचित समझा गया है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को मानद् उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने के लिए सशक्त न किया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया कि राज्य में प्राइवेट विश्वविद्यालयों को शासित करने वाले समस्त विधानों में एकरूपता लाई जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने और दूरवर्ती शिक्षा तथा मानद् उपाधियां या अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करने से सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों का लोप करने का विनिश्चय किया गया है । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक समझा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए एक मास की अवधि युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गई फीस संरचना से सम्बन्धित प्रस्तावों का परीक्षण करने और जांच करने के लिए युक्तियुक्त समय की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह विनिश्चय किया गया है कि सरकार को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को अनुमोदन प्रदान करने के लिए तीन मास का समय अनुज्ञात किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किए जाने आवश्यक हो गए हैं ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

ईश्वर दास धीमान,
प्रभारी मन्त्री ।

धर्मशाला :

तारीख:.....,2010

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

THE ARNI UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL, 2010

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010. Short title.

2. In section 2 of the Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”), for clause (p), the following clause shall be substituted, namely:— Amendment of section 2.

“(p) “sponsoring body” means K. D. Educational Trust, New Delhi, registered under the Indian Trust Act, 1882 and includes its subsidiary branch to be registered in Himachal Pradesh within a period of six months from the date of commencement of the Arni University (Establishment and Regulation) Amendment Act, 2010;”.

3. In section 5 of the principal Act,—

(a) clause(vii), shall be omitted.;

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:—

“(xi-a) the sponsoring body/university shall appoint full time regular employees for the university and the salary of

Amendment of section 5.

the employees shall be deposited in the bank account of the employees every month;”;

(c) for clause(xviii), the following clause shall be substituted, namely:—

“(xviii) to set-up colleges, institutions, off-campus centres, off-shore campus, study centres or to start distance education, after fulfilling the norms and regulations of the Central Government Regulatory Bodies and Central Government, issued from time to time, and after obtaining the specific approval of the State Government;” and

(d) in clause (xix) after the words “and grants”, the words “except from parents and students” shall be inserted.

Amend-
ment of sec-
tion 9.

4. In section 9 of the principal Act, in clause (d), after the word and sign “donation,”, the words and sign “except from parents and students,” shall be inserted.

Amend-
ment of
section 26.

5. In section 26 of the principal Act, in sub-section (1), clause (g) shall be omitted.

Amend-
ment of
section 31.

6. In section 31 of the principal Act, after sub-section (4), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

“(5) The University shall seek prior approval of the State Government for admitting new students in subsequent years in the existing courses or for starting new courses which shall be subject to recommendations of the inspection committee set up for the purpose. This shall be applicable till the first batch of final year students are admitted.”.

Amend-
ment of
section 32.

7. In section 32 of the principal Act, for the words “one month” wherever these occur, the words “three months” shall be substituted.

Amend-
ment of
section 40.

8. In section 40 of the principal Act, in sub-section (1), the words and signs “after consultation with the Vice-Chancellor,” shall be omitted.

Amend-
ment of
section 41.

9. In section 41 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso, for the words “fifteen years”, the words “twenty five years” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Arni University (Establishment and Regulation) Act, 2009 (Act No. 23 of 2009) empowers the University to confer honorary degrees or other academic distinctions and to start distance education, but as per guidelines of the University Grants Commission, the distance education and off campus study centers are to be discouraged. Further, it has been considered appropriate not to empower the Private Universities to confer honorary degrees or other academic distinctions. Further, it has also been considered necessary to bring uniformity in all legislations governing private universities in the State. Thus, it has been decided to amend the Act *ibid* suitably and to delete the provisions of the Act relating to distance education and conferment of honorary degrees or other academic distinctions. It has further been considered necessary that the period of one month is not reasonable for grant of approval of fee structure by the State Government for the reason that the proposals relating to fee structure submitted by the Private Universities requires reasonable time for examination and scrutiny, therefore, it has been decided that the Government may be allowed three months time for the grant of approval of fee structure of the Private Universities. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

ISHWAR DASS DHIMAN,
Minister-in-Charge.

DHARAMSHALA:
The.....2010.

FINANCIAL MEMORANDUM

-Nil-

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

-Nil-
